THE UTTAR PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) BILL, 2024

A BILL

further to amend the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2024.

Short title and commencement

(2) The provisions of this Act shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official *Gazette*, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act.

Amendment of section 2 of U.P. Act no.1 of 2017

- 2. In the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the principal Act), in section 2, *for* clause (61), the following clause shall be *substituted*, namely:-
- "(61) "Input Service Distributor" means an office of the supplier of goods or services or both which receives tax invoices towards the receipt of input services, including invoices in respect of services liable to tax under sub-section (3) or subsection (4) of section 9, for or on behalf of distinct persons referred to in section 25, and liable to distribute the input tax credit in respect of such invoices in the manner provided in section 20;".

Substitution of section 20

- 3. For section 20 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-
 - "20. (1) Any office of the supplier of goods or services or both which receives tax invoices towards the receipt of input services, including invoices in respect of services liable to tax under sub-section (3) or sub-section (4) of section 9, for or on behalf of distinct persons referred to in section 25, shall be required to be registered as Input

Service Distributor under clause (viii) of section 24 and shall distribute the input tax credit in respect of such invoices.

- (2) The Input Service Distributor shall distribute the credit of State tax or integrated tax charged on invoices received by him, including the credit of State or integrated tax in respect of services subject to levy of tax under sub-section (3) or subsection (4) of section 9 paid by a distinct person registered in the same State as the said Input Service Distributor, in such manner, within such time and subject to such restrictions and conditions as may be prescribed.
- (3) The credit of State tax shall be distributed as state tax or integrated tax and integrated tax as integrated tax or State tax, by way of issue of a document containing the amount of input tax credit, in such manner as may be prescribed.".

Insertion of new section 122A

- 4. After section 122 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:-
 - "122A. (1) Notwithstanding anything contained in this Act, where any Penalty for failure to register certain machines used in manufacture of goods as per special procedure

 person, who is engaged in the manufacture of goods in respect of which any special procedure relating to registration of machines has been notified under section 148, Acts in contravention of the said special procedure, he shall, in addition to any penalty that is paid or is payable

by him under Chapter XV or any other provisions of this Chapter, be liable to pay a penalty equal to an amount of one lakh rupees for every machine not so registered.

(2) In addition to the penalty under sub-section (1), every machine not so registered shall be liable for seizure and confiscation:

Provided that such machine shall not be confiscated where,-

- (a) the penalty so imposed is paid; and
- (b) the registration of such machine is made in accordance with the special procedure within three days of the receipt of communication of the order of penalty.".

Repeal and saving

5. (1) The Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2024 is hereby repealed.

U.P. Ordinance no. 19 of 2024

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U. P. Act no. 1 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to make provision for levy and collection of tax on intra-State supply of goods or services or both by the State of Uttar Pradesh and for matters connected therewith or incidental thereto.

- 2. On the recommendation of the GST Council, certain amendments were made in the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (Act no. 12 of 2017) *vide* the Finance Act, 2024 (Act no. 8 of 2024).
- 3. In view of the above, it was decided to amend the said Act to incorporate the amendments made in the Central, Goods and Services Tax Act, 2017 at the State level and to maintain uniformity in the Central Act and the State Act.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2024 (U.P. Ordinance no.19 of 2024) was promulgated by the Governor on November 14, 2024.

The Uttar Pradesh Goods and Services (Amendment) Bill, 2024 is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

YOGI ADITYANATH *Mukhya Mantri*.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० १०८ सा० विधायी १३-१२-२०२४ - (१६२) - ४०० प्रतियां (डी०टी०पी० / ऑफसेट)।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के लिये विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2024 संक्षिप्त नाम और कहा जायेगा। (2) इस अधिनियम के उपबंध ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होंगे, जैसा राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे :

परंतु यह कि इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017 की धारा 2 का संशोधन

धारा 20 का

प्रतिस्थापन

2—उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) में, धारा 2 में खण्ड (61) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात्:—

ं(61) "इनपुट सेवा वितरक" का तात्पर्य माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे पूर्तिकर्ता के कार्यालय से हैं, जो धारा 25 में निर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्तियों के लिए या उनकी ओर से, धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कर के लिये दायी सेवाओं के संबंध में बीजकों सिहत इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के लिए कर बीजक प्राप्त करता है और धारा 20 में उपबंधित रीति से ऐसे बीजकों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय वितरित करने के लिए दायी है;

3—मूल अधिनियम की धारा 20 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थात:—

"20—(1) माल या सेवाओं या दोनों के पूर्तिकर्ता का कोई कार्यालय जो इनपुट सेवाओं, इनपुट सेवा जिसमें धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कर के वितरक द्वारा लिये दायी सेवाओं के संबंध में बीजक सम्मिलित हैं, की प्राप्ति के प्रत्यय के वितरण लिए धारा 25 में निर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्तियों के लिए या उनकी की रीति ओर से कर बीजक प्राप्त करता है, का धारा 24 के खंड (viii)

के अधीन इनपुट सेवा वितरक के रूप में रिजस्ट्रीकृत होना आवश्यक होगा और ऐसे बीजर्कों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय वितरित करेगा।

- (2) इनपुट सेवा वितरक उसके द्वारा प्राप्त बीजकों पर लगाए गए, राज्य कर या एकीकृत कर के प्रत्यय जिसमें धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कर के लिये उद्ग्रहीत सेवाओं के संबंध में राज्य या एकीकृत कर का प्रत्यय सम्मिलित है, जिसका संदत्त उक्त इनपुट सेवा वितरक के रूप में उसी राज्य में रिजस्ट्रीकृत सुभिन्न व्यक्ति द्वारा किया गया हो, को ऐसी रीति से, ऐसे समय के भीतर और ऐसे निर्वंधनों और शर्तों के अध्यधीन जैसा विहित किया जा सकता है, वितरित करेगा।
- (3) राज्य कर का प्रत्यय, राज्य कर या एकीकृत कर के रूप में तथा एकीकृत कर, एकीकृत कर या राज्य कर के रूप में ऐसा दस्तावेज जिसमें इनपुट कर प्रत्यय की धनराशि अंतर्विष्ट हो, को जारी किए जाने के लिए इस रीति से वितरित किया जायेगा, जैसा कि विहित हो।"

नई धारा 122 क का बढाया जाना

4—मूल अधिनियम की धारा 122 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्:—

"122क—(1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई व्यक्ति, विशेष प्रक्रिया के जो ऐसे माल के विनिर्माण में लगा है जिसके संबंध में मशीनों अधीन माल के के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित कोई विशेष प्रक्रिया धारा 148 के विनिर्माण में उपयोग अधीन अधिसूचित की गई है, उक्त विशेष प्रक्रिया का उल्लंघन की जाने वाली कुछ करता है, वहां वह अध्याय पन्द्रह या इस अध्याय के किसी अन्य मशीनों को पंजीकृत उपबंध के अधीन उसके द्वारा संदत्त या संदेय किसी शास्ति के न कराने पर शास्ति

एक लाख रुपए धनराशि के बराबर शास्ति का भुगतान करने के लिए दायी होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन शास्ति के अतिरिक्त, इस प्रकार रिजस्ट्रीकृत न की गई प्रत्येक मशीन अभिग्रहण और अधिहरण के लिए दायी होगी:

परंतु यह कि ऐसी मशीन तब अधिहरण नहीं की जाएगी, जहां-

- (क) इस प्रकार अधिरोपित शास्ति संदत्त कर दी गयी है; और
- (ख) ऐसी मशीन का रजिस्ट्रीकरण शास्ति के आदेश की संसूचना प्राप्त होने के तीन दिन के भीतर विशेष प्रक्रिया के अनुसार कर दिया गया है।"

निरसन और व्यावृत्ति 5—(1) उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, उत्तर प्रदेश 2024 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। 9ध्यादेश संख्या 19 सन् 2024

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह–प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेष अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) (जिसे आगे "उक्त अधिनियम" कहा गया है), उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा माल या सेवाएं या दोनों की अन्तर्राज्यीय पूर्ति पर कर के उद्ग्रहण तथा संग्रहण और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

2—माल और सेवा कर (जीएसटी) परिषद की सिफारिश पर, वित्त अधिनियम, 2024 (अधिनियम संख्या 8 सन् 2024) द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 12 सन् 2017) में कितपय संशोधन किए गए।

3—उपर्युक्त के दृष्टिगत केन्द्रीय अधिनियम एवं राज्य अधिनियम में एकरूपता बनाये रखने के लिए राज्य स्तर पर केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में किये गये संशोधनों को सम्मिलित करने हेतु उक्त अधिनियम में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित किये जाने हेतु तुरन्त विधायी कार्रवाई आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 14 नवम्बर, 2024 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 19 सन् 2024) प्रख्यापित किया गया।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा (संशोधन) विधेयक, 2024 पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

> योगी आदित्यनाथ मुख्य मंत्री।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 में किये जाने वाले ऐसे उपबंधों का ज्ञापन-पत्र जिनमें विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान का विवरण निम्नवत है।

विधेयक का खण्ड	विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान का संक्षिप्त विवरण
1(2)	इसके द्वारा राज्य सरकार को ऐसे दिनांक नियत करने की शक्ति दी जा रहीं है, जबसे अधिनियम प्रवत्त होगा और अधिनियम के भिन्न उपबन्ध के लिए भिन्न—भिन्न दिनांक राज्य सरकार द्वारा नियत किये जा सकेंगे।

उपर्युक्त प्रतिनिधान सामान्य प्रकार के हैं।

योगी आदित्यनाथ मुख्य मंत्री। उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 द्वारा संशोधित की जाने वाली मूल अधिनियम की संगत धाराओं का उद्धरण।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017

धारा 2

(61) "इनपुट सेवा वितरक" से माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे पूर्तिकर्ता का कार्यालय अभिप्रेत है, जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के मद्दे धारा 31 के अधीन जारी कर बीजक प्राप्त करता है और उक्त कार्यालय के समान स्थायी खाता संख्यांक वाले कराधेय माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे पूर्तिकर्ता को उक्त सेवाओं पर संदत्त केन्द्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर या संघ राज्यक्षेत्र संबंधी कर के प्रत्यय का वितरण करने के प्रयोजनों के लिए कोई विहित दस्तावेज जारी करता है;

धारा 20

- (1) इनपुट सेवा वितरक, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, कोई ऐसा दस्तावेज जारी करके इनपुट सेवा जिसमें वितरण किए जाने वाले इनपुट कर प्रत्यय की रकम अंतर्विष्ट हो, वितरक द्वारा प्रत्यय के वितरण राज्य कर के प्रत्यय का राज्य कर या एकीकृत कर के रूप में और एकीकृत की रीति कर का एकीकृत कर या राज्य कर के रूप में वितरण करेगा।
- (2) इनपुट सेवा वितरक, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, प्रत्यय का वितरण कर सकेगा, अर्थात् :--
- (क) प्रत्यय के प्राप्तिकर्ताओं को किसी दस्तावेज के द्वारा, जिसमें ऐसे ब्यौरे अंतर्विष्ट हो, जो विहित किए जाएं, प्रत्यय का वितरण किया जा सकता है;
- (ख) वितरण किए गए प्रत्यय की रकम, वितरण के लिए उपलब्ध प्रत्यय की रकम से अधिक नहीं होगी;
- (ग) किसी प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता को मानी गई इनपुट सेवाओं पर संदत्त कर प्रत्यय का वितरण केवल उस प्राप्तिकर्ता को ही किया जाएगा;
- (घ) एक से अधिक प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता को मानी गई इनपुट सेवाओं पर संदत्त कर के प्रत्यय का वितरण ऐसे प्राप्तिकर्ताओं के बीच किया जाएगा, जिनके लिए इनपुट सेवा मानी जा सकती है और ऐसा वितरण संसुगत अवधि के दौरान ऐसे प्राप्तिकर्ता के राज्य में के आवर्त या संघ राज्यक्षेत्र में के आवर्त के आधार पर, ऐसे सभी प्राप्तिकर्ताओं के, जिनके लिए ऐसी इनपुट सेवा मानी गई है, आवर्त का अनुपाततः होगा;
- (ङ) प्रत्यय के सभी प्राप्तिकर्ताओं के लिए मानी गई इनपुट सेवाओं पर संदत्त कर प्रत्यय का ऐसे प्राप्तिकर्ताओं के बीच वितरण किया जाएगा और ऐसा वितरण, सुसंगत, अविध के दौरान सभी प्राप्तिकर्ताओं के संकलित आवर्त और जो उक्त सुसंगत अविध के दौरान चालू वर्ष में संक्रियात्मक हैं, ऐसे प्राप्तिकर्ता के राज्य में के आवर्त या संघ राज्यक्षेत्र में के आवर्त के आधार पर अनुपाततः होगा।

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिए,-

(क) "स्संगत अवधि",-

(i) यदि प्रत्यय के प्राप्तिकर्ताओं का, उस वर्ष के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में, जिसके दौरान प्रत्यय का वितरण किया जाना है, उनके राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में आवर्त है तो उक्त वित्तीय वर्ष होगी;

- (ii) यदि प्रत्यय के कुछ या सभी प्राप्तिकर्ताओं का, उस वर्ष के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में, जिसके दौरान प्रत्यय का वितरण किया जाना है, उनके राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में कोई आवर्त नहीं है तो ऐसा उस मास के पहले का, जिसके दौरान प्रत्यय का वितरण किया जाना है, ऐसी अंतिम तिमाही होगी, जिसके लिए सभी प्राप्तिकर्ताओं के ऐसे आवर्त के ब्यौरे उपलब्ध है;
- (ख) "प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता" पद से उस इनपुट सेवा वितरक के रूप में समान स्थायी खाता संख्यांक वाला माल या सेवाओं या दोनों का पूर्तिकार अभिप्रेत है;
- (ग) इस अधिनियम के अधीन कराधेय माल और साथ ही ऐसे माल की, जो कराधेय नहीं है, पूर्ति में लगे हुए किसी रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में "आवर्त" से संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की ¹⁰⁸[प्रविष्टि 84 और प्रविष्टि 92क] और उक्त अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 51 और प्रविष्टि 54 के अधीन उद्गृहीत किसी शुल्क या कर की रकम को घटाकर आवर्त का मूल्य अभिप्रेत है।